

Kind of Case..... Year.....

Number of Case..... Versus.....

Order with initials of Presiding Officer

Date

25.8
25
3-1

विशेष लोभ अभियोजन अधिनियम 1988

भारतीय इन्डिया वर जमानत मय. अभियोजन अधिनियम 1988
सुन्दरलाल अयुक्त. जिसकी बाबली जारिसे. 28. अभियोजन अधिनियम 1988

की गई।

जवाहर दयादास कावपूर नामील B/W भाबुल जवाहर

जी.डी. चानिमा की शीट से P.C. हेतु 01.47 प्राप्त हुआ

परंतु शीट बुकिंग न होने से साक्ष्य संभव नहीं हुई।

सं. 1 दयादास को नाम से व जवाहर सं. 19 जी.डी. चानिमा


जारी

B/W 2001. से लब्ध किया जाते हैं किन पर मा. RHC 025

कीए निष्पत्ति किये जाते व नामील सुनिश्चित करने के बाद

नाम लब्ध से अद्विगत किये जाते परंतु साक्ष्य हेतु कि

03/9/25 को पठा है।


रविशंकर शर्मा, विधि
अधीनस्थ अधिकारी, अभियोजन अधिनियम, 1988

03/9/25

विशेष लोभ अभियोजन अधिनियम

भारतीय इन्डिया वर जमानत मय. अभियोजन अधिनियम 1988

सुन्दरलाल अयुक्त. जिसकी बाबली जारिसे. 28. अभियोजन अधिनियम 1988

माय की गई।

जवाहर जी.डी. चानिमा से 28 वन P.C से लेखक

किये गये। जवाहर जी. रविशंकर की बाबली माफी का 016

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case.....Year.....

.....Versus.....

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of Compliance of the Order

प्राप्त हुआ। गौरे देवदास का नाम भद्रम तारीख 10/11/21।
गौरे देवदास को पुनः नाम से व गौरे देवदास अविष्कृत
कुमार को क्रम 2000/- 2000/- से लब्ध किया जावे। जो
अ.स.प. के साथ A.S.P. ACB हनुमानगढ़ को तारीख
12/11/21 को भेजे जावे। जिसमें H.A. RHC का भी निष्काय हेतु
Targetted Case No. 14 सेने व तारीख सुनिश्चित करने का
हवाला दिया जावे। पत्रावली साक्ष्य अभिलेखण हेतु दि. 12/11/21
को प्रेषित।

सेशन न्यायाधीश, विभिन्न न्यायालय,
एटाचार निवारण अधिनियम प्रकरण,
सीतापुर।